न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 08/2016

प्रार्थी

1 जेसा पुत्र केसा
जाति–दर्जी, साकिन–रावतसर
तहसील व जिला–सांचौर
(राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भारथाराम वल्द अदाराम
2 सामलाराम वल्द अदाराम
3 नेताराम वल्द अदाराम
4 शंकरराम वल्द अदाराम
जातियान–भांभी, निवासीगण–
रावतसर, तहसील व जिला–सांचौर
5 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा
शाखा– सांकड़, तहसील व
जिला–सांचौर (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 26.07.2016

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1,2 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिश्नोई उपस्थित, पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद।

:– निर्णय :– दिनांक :– 26.07.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत ग्राम रावतसर की सरहद में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है तथा अपने परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है वर्तमान में अप्रार्थीगण के खेत में से चलते है तथा मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलबध नहीं है तथा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की रास्ते हेतु आवश्यकता है जिसे सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने के लिए सबसे नजदीक एवं सुलभ रास्ता है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता तरमीम हेतु तहसीलदार सांचौर को पृथक से तहरीर [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:17:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] व 5 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बावजूद इसके जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जरिये

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन होने से खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 28.07.2016 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के खेत में से चलते है तथा मोके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से चलते है जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त दर्शाया गया रास्ता सबसे नजदीक एवं सुलभ रास्ता है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन होने से खारिज फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात् एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन व अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम की धारा 251'क' में कानुनी प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू.अ. निरीक्षक अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 814 रकबा 0.39 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई कटाण मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतएव प्रार्थी की आवश्यकता आत्यांतिक है। खसरा संख्या 814 के आवागमन हेतु आवेदित रास्ता जिसकी मांग खसरा संख्या 763 रकबा 1.45 हैक्टेयर से की गई है, सबसे निकटमत एवं सुविधाजनक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मोजा रावतसर, पटवार मण्डल अरणाय के खसरा संख्या 763 जो 0.02 हैक्टेयर भूमि सरकार के हक में समर्पित करने के बाद 763 की जगह नवीन खसरा संख्या 1130/763 में से निरीक्षक भू.अ. अरणाय की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1130/763 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से 12 फीट चौड़ा व 328 फीट लंबाई यानि 3936 वर्गमीटर अर्थात् 0.0366 हैक्टेयर भूमि खातेदारी भूमि से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित व विधि संगत समझते है।

:– आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:17:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा रास्ता होने से स्वीकार किया जाता है। भू–अभिलेख अरणाय की मौका जांच रिपोर्ट व प्रस्तावित नक्शे अनुसार ग्राम रावतसर के खसरा संख्या 1130/763 रकबा 1.43 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 814 के खातेदार को निकटतम रास्ता हेतु खसरा संख्या 813 के पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 12 फीट चौड़ा व 328 फीट लंबाई यानि 3936 वर्गफीट अर्थात् कुल रकबा 0.0366 हैक्टेयर भूमि अभिघृति

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70(1)(ii)क के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 1130/763 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक की ऐसे खातेदार/वारिसान राशि प्राप्त न कर ले। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:17:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner